प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–7, लखनऊ।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः R-1191/7–06ई/2010 दिनांक 16 अगस्त, 2017

विषयः आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग कराये जाने संबंधी।

महोदय,

आप अवगत हैं ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार द्वारा पचास प्रतिशत वित्त पोषित है।

2. भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के स्वरूप में कतिपय परिवर्तन किया गया है। यह योजना अब भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय द्वारा संचालित की जायेगी। इसके अन्तर्गत योजना का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अभिसरण (convergence) कर दिया गया है।

3. महानिदेशालय श्रम कल्याण, श्रम एवं रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या–M–21015/02/2017–RW दिनांक 25 जुलाई, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि बीमित व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ दिये जाने हेतु उनकी आधार सीडिंग दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक करा दिया जाये।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत राजस्व परिषद की वेबसाइट http://bor.up.nic.in पर उपलब्ध आम आदमी बीमा योजना पोर्टल में आधार सीडिंग किये जाने हेतु व्यवस्था कर दी गयी है जिनके स्क्रीन शॉट व यूजर मैनुअल आपकी सुगमता हेतु संलग्न किया जा रहा है।

5. सर्वप्रथम उक्त पोर्टल पर बीमित किये जाने हेतु अभी तक फीड किये गये व्यक्तियों की तहसीलवार/ग्रामवार सूची प्रिन्ट कर ली जाये। इसके उपरान्त संबंधित लेखपाल को उक्त सूची उपलब्ध करा दी जाये। संबंधित लेखपाल द्वारा सूची में उपलब्ध व्यक्तियों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुये उनके आधार नम्बर अंकित किये जायेंगे तथा संबंधित व्यक्ति एवं लेखपाल द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसके उपरान्त तहसीलदार को उक्त पोर्टल पर आधार नम्बर सीड किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। आधार नम्बर सीड कराने का दायित्व तहसीलदार का होगा।

संबंधित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप संलग्न है। आधार सीडिंग के उपरान्त उक्त सूची एवं सहमति पत्र तहसील में संरक्षित कर लिया जायेगा।

6. ऐसे व्यक्ति जो आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित हैं, परन्तु उक्त पोर्टल पर उनके नाम एवं अन्य विवरण फीड नही किये गये हैं, के संबंध में पुनः दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्य सुनिश्चित कराते हुये दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक उक्त पोर्टल पर उपलब्ध सूची के अनुसार आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

16/8/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक श्रम कल्याण, श्रम एवं रोज़गार मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीको उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–M–21015/02/2017–RW दिनांक 25 जुलाई, 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–13, लखनऊ।
3. तकनीकी निदेशक (एन0आाई0सी0), राजस्व परिषद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त परिषदादेश संलग्नकों सहित राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।